

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 47 of 2020

Sub : Preventive Measures to contain the spread of COVID-19

Attention is invited to Office Order No. 45 of 2020 containing detailed guidelines on measures to contain the spread of COVID-19 amongst officials in Board's Office. Keeping in view the rise in number of officials testing COVID positive, it has been decided with the approval of the competent authority to regulate reporting of Officials in Board's Office as follows until further orders:-

- a) All Officers of the level of Executive Director/Joint Secretary and above shall attend office on all working days;
- b) Officers of the level of JD and Director, shall attend office upto 50% on any given day on functional requirement as decided by the Controlling Officer;
- c) For other Officers/staff below JD level, HODs of branches shall prepare roster so as to ensure that 33% of Officers and staff attend office with staggered timings;
- d) The duty roster in respect of personal staff attached with Officers i.e., PSO, Sr.PPS, PPS, PS, PA/Steno and MTS shall be prepared by the respective officer or Senior most personal staff, keeping in view the minimum functional requirement;
- e) All Officials not reporting to office, are to work from home and are to be available at all times on phone and other electronic means of communication.

1.1 Other guidelines as contained in Office Order No. 45 of 2020 would continue with no change.

2. All concerned to ensure strict compliance of above instructions and also of Office Order No. 45 of 2020 in letter and spirit.



(B.Majumdar)
Joint Secretary/Railway Board

E.No.2020/O&M/9/1
Dated: 17/06/2020

All Officers and Branches in Board's office, Metro Bhawan, Pragati Maidan and at Dayabasti, New Delhi.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

2020 का कार्यालय आदेश सं.47

विषय: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती उपाय।

आपका ध्यान बोर्ड कार्यालय के 2020 के कार्यालय आदेश सं.45 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें बोर्ड कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। कोविड पॉज़िटिव अधिकारियों/कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बोर्ड कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की रिपोर्टिंग को अगले आदेशों तक निम्नानुसार विनियमित करने का विनिश्चय किया गया है:-

- क) कार्यपालक निदेशक/संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित होंगे;
- ख) संयुक्त निदेशक और निदेशक स्तर के 50% अधिकारी कार्यात्मक आवश्यकता पर कार्यालय में उपस्थित होंगे, जिसे नियंत्रक अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा;
- ग) संयुक्त निदेशक से निचले स्तर के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए शाखाओं के विभागाध्यक्ष इस प्रकार रोस्टर तैयार करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो कि 33% अधिकारी और कर्मचारी अलग-अलग समय पर कार्यालय में उपस्थित हों;
- घ) अधिकारियों के साथ संबद्ध वैयक्तिक स्टाफ अर्थात् पीएसो, सीनियर पीपीएस, पीपीएस, पीएस, पीए/स्टेनो और एमटीएस के संबंध में ऊ्यूटी रोस्टर न्यूनतम कार्यात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारी या वरिष्ठतम वैयक्तिक स्टाफ द्वारा तैयार किया जाएगा;
- ङ) सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, जो कार्यालय में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, को घर से ही कार्य करना होगा और हर समय फोन तथा सम्प्रेषण (कम्यूनिकेशन) के अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर उपलब्ध रहना होगा।

1.1 2020 के कार्यालय आदेश सं.45 में यथा अंतर्विष्ट अन्य दिशानिर्देश बिना किसी परिवर्तन के जारी रहेंगे।

2. सभी संबंधित कृपया उक्त अनुदेशों और 2020 के कार्यालय आदेश सं.45 का सख्ती से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

ई. सं.2020/ओ एंड एम/9/1

दिनांक: 17.06.2020



(बी. मजुमदार)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

बोर्ड कार्यालय, मेट्रो भवन, प्रगति मैदान और दयाबस्ती नई दिल्ली के सभी अधिकारी और कर्मचारी।